मीरजापुर पुलिस
प्रेस नोट
दिनांकः 17.08.2022
मीरजापुर पुलिस द्वारा ₹ 20 हजार का इनामिया गैंगेस्टर एक्ट का शातिर अभियुक्त गिरफ्तार —

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर 'संतोष कुमार मिश्रा' द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरूद्ध चलायें जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को फरार चल रहे वांछित अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी करते हुए विधिक कार्यवाही के निर्देश दिये गये है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में प्रभारी निरीक्षक को0शहर मय टीम द्वारा थाना को0शहर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-94/2022 धारा 3(1) गैंगेस्टर अधिनियम के अभियोग से सम्बन्धित ₹ 20 हजार के इनामिया अभियुक्त की गिरफ्तारी के क्रम में आज दिनांक 17.08.2022 को मुखबिर की प्राप्त सूचना के आधार पर थाना को0कटरा क्षेत्र से इनामिया गैंगेस्टर के वांछित अभियुक्त मो0आलम पुत्र मो0अजीजुल्लाह निवासी जामा मस्जिद की गली गोपीगंज थाना गोपीगंज जनपद भदोही को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त पेशेवर एवं शातिर किस्म का अपराधी है जो अपने गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर बैंक एटीएम कार्ड से पैसा निकालने वाले लोगो का छलपूर्वक कार्ड बदलकर उनके खाते से पैसा आहरित करने का संगठित अपराध कारित करता है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त—

मो0आलम पुत्र मो0अजीजुल्लाह निवासी जामा मस्जिद की गली गोपीगंज थाना गोपीगंज जनपद भदोही

आपराधिक इतिहास —

1. मु0अ0सं0-564/2016 धारा 420 भादवि थाना को0कटरा मीरजापुर।
2. मु0अ0सं0-121/2021 धारा 411,419,420 भादवि व 66सी व डी आईटी एक्ट थाना को0शहर मीरजापुर।
3. मु0अ0सं0-122/2021 धारा 411,419,420 भादवि व 66सी व डी आईटी एक्ट थाना को0शहर मीरजापुर।
4. मु0अ0सं0-123/2021 धारा 401,411,419,420 भादवि व 66सी व डी आईटी एक्ट थाना को0शहर मीरजापुर।
5. मु0अ0सं0-124/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0शहर मीरजापुर।
6. मु0अ0सं0-94/2022 धारा 3(1) गैंगेस्टर अधिनियम थाना को0शहर मीरजापुर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम —
प्रभारी निरीक्षक थाना को0शहर अरविन्द कुमार मिश्रा मय टीम।

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा पुलिस टीम को ₹ 20 हजार के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।